हाई कोर्ट | छुट्टी नहीं मिली तो अफसर और जवानों को गोलियों से भूना, उम्रकैद की सजा बरकरार

माओवाद प्रभावित क्षेत्र में तनावपूर्ण ड्यूटी हत्या का बहाना नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीआरपीएफ कांस्टेबल संतराम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तनावपूर्ण हालात और छुट्टी ना मिलना किसी जवान को अपने ही अफसर और साथियों की हत्या करने का अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह कृत्य अमानवीय, जघन्य और साजिश के तहत किया गया अपराध है, माफी नहीं हो सकती।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सशस्त्र बलों के जवानों को विशेष अनुशासन और दबाव झेलने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर छुट्टी नहीं मिली या अफसर से मतभेद था, तो उसका हल गोली चलाना नहीं हो सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता संतराम की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी।

कैंप में माओवादी हमला नहीं था, फिर चार जवान कैसे मारे गए

डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर यह हमला माओवादियों द्वारा किया गया होता, तो इसकी सूचना प्रशासन को दी जाती। जबकि रिकार्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। घायल चश्मदीद गवाह की गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर स्पष्ट होता है कि आरोपित की नाराजगी अफसरों और सहकर्मियों से थी, जिन पर उसने गोलियां बरसाईं।

अनुशासनहीनता के लिए कोई छूट नहीं: हाई कोर्ट

डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि सशस्त्र बल कर्मियों के लिए अनुशासन का स्तर एक सामान्य नागरिक की तुलना में बहुत अधिक है। उन्हें सभी प्रकार के दबावों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि बिना छुट्टी के लंबे समय तक काम करना और कठिन वातावरण किसी भी व्यक्ति को अपने सहकर्मियों की हत्या करके अपना गुस्सा निकालने का अधिकार नहीं देता है। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता सशस्त्र बल का सदस्य होने के नाते, क्षेत्र के लोगों को माओवादियों से बचाने के लिए जिम्मेदार था। लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करने के बजाय उसने साथियों पर ही अंधाधुंध गोली बारी कर जान ले ली। यह जघन्य और अमानवीय घटना है। याचिकाकर्ता इसके परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि अगर किसी जवान को छुट्टी नहीं मिलती है या वह तनाव में है, तो उसे संस्थागत विकल्पों का सहारा लेना चाहिए, न कि हत्या जैसा जघन्य कदम उठाना।

हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी

याचिकाकर्ता ने दो राइफलें साथ रखी थीं, जबकि आमतौर पर जवान को एक ही हथियार दिया जाता है। उसने कैंप के विश्राम कक्ष में घुसकर अफसर और जवानों पर फायरिंग की। यह स्पष्ट संकेत है कि उसने पूर्व नियोजित साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया।

डाग हैंडलर कोर्स बना रंजिश की वजह

मामले के पीछे एक कारण यह भी सामने आया कि मृतक सब इंस्पेक्टर विक्की शर्मा ने याचिकाकर्ता को डाग हैंडलर कोर्स के लिए नामित किया था, जिससे उसकी छुट्टी रद्द हो गई। इसी बात को लेकर संत कुमार अफसर से रंजिश रखने लगा और गोलीबारी की।

यह था पूरा मामला

घटना 9 दिसंबर 2017 की है, जब बस्तर के बासागुड़ा के सीआरपीएफ कैंप की 168वीं बटालियन में कार्यरत संत कुमार का अपने उपनिरीक्षक विक्की शर्मा से ड्यूटी को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि संत कुमार ने अपनी एके-47 राइफल से विक्की शर्मा, एएसआइ राजीव सिंह और कांस्टेबल मेघ सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद उसने मनोरंजन कक्ष में छिपे कांस्टेबल शंकर राव को भी गोली मार दी, जिससे उनकी भी मृत्यु हो गई। इस हमले में एसआइ गजानंद सिंह गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। ट्रायल कोर्ट ने संत कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।